न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 16/2021, जिला अलवर

1. बाबूलाल पुत्र श्री श्योगल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर, तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान।
2. हंसा देवी पुत्री स्वर्गीय श्री मोहरू, हाल निवासी ग्राम पातोडा, तहसील बावल, जिला रेवाडी, हरियाणा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.09.2015 कार्यालय तहसील बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान पत्रावली संख्या 6/15 जिसमें तहसीलदार बहरोड ने अपीलान्ट/प्रार्थी की वसीयत के आधार पर स्वर्गीय श्री भोमाराम की कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा कर फर्जी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में नामान्तकरण तस्दीक करने का निर्णय सुनाया गया।

उपस्थित–

1. श्री कमल किशोर मीणा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1
3. श्री चन्द्रमोहन गुर्जर, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2

निर्णय

दिनांक –14.09.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बहरोड के निर्णय दिनांक 21.09.2015 के खिलाफ 01.01.2016 को प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री बाबूलाल ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसके दादा भोमा पुत्र मोहरू ने अपनी सम्पूर्ण सम्पति की वसीयत उसके पक्ष में की है। वसीयतकर्ता की सम्पति का नामान्तकरण उसके नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ भोमाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की व भोमाराम पुत्र मोहरूराम गुर्जर निवासी जलालपुर की वसीयत दिनांक 12.6.19 की प्रमाणित फोटोप्रतियां पेश की। रिपोर्ट पटवारी ली जकार वसीयत बाबत सार्वजनिक सूचना 770 दिनांक 8.9.15 जारी की गई जो दिनांक 11.9.15 की "राजस्थान पत्रिका" के पृष्ठ सं. 13 कालम सं. 6 पर प्रकाशित हुई। दिनांक 14.9.15 को हंसादेवी पुत्री मोहरू ग्राम जलालपुर हाल निवासी पातोडा तहसील बाबल जिला रेवाडी(हरियाणा) ने उपस्थित होकर वसीयत बाबत एतराज पेश किया व निवेदन किया किया कि वसीयत की भूमि भोमाराम को उसके पिता से वसीयत में प्राप्त हुई है तथा वह उसकी बहिन होने से उस सम्पत्ति की वह एकमात्र वारिस है। भोमा पुत्र मोहरू का विरासत का ई.नं. 333 ग्राम जलालपुर प्रार्थीनी के नाम दर्ज हो चुका है, जो फैसले से शेष है। अतः वसीयतनामा को निरस्त कर ई. नं. 333 फैसल किया जावे। इसके साथ ही न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बहरोड के वाद सं. 216/2007 बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार आदि में निर्णय दिनांक 20.7.15 की फोटोप्रति पेश की जिसमें बाबूलाल द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज हेतु पेश वाद को क्षेत्राधिकार न्यायालय में न आने के कारण खारिज किया जा चुका है। तहसीलदार बहरोड ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. तहसीलदार बहरोड जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार बहरोड दिनांक 21.09.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

Scanned by CamScanner

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां एक स्वर्गीय भोमाराम पुत्र मोहरूराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जलालपुर की वसीयत दिनांक 12.6.1991 के आधार स्वर्गीय भोमाराम की कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज कराने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6.8.2015 को प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 6.8.15 को दर्ज कर वसीयत पत्रावली संख्या 6/15 में वसीयत के बाबत एक सार्वजनिक सूचना अखबार में साया कराने हेतु आदेश प्रदान किये तथा वसीयत के गवाहों को बयान देने हेतु अपने स्तर पर सूचित करने के आदेश प्रदान किये। दिनांक 14.9.2015 को वसीयत के गवाह जयराम व ख्यालीराम ने उपस्थित होकर बयान दर्ज कराये तथा भोमाराम ने बहरोड कोर्ट में जाकर बाबूलाल के पक्ष में वसीयत की थी, इस बात की ताईद की, साथ ही राजस्थान पत्रिका दिनांक 11.9.95 की एक प्रति सार्वजनिक सूचना क्रमांक 770 दिनांक 8.9.15 छपी हुई पेश हुई। अपीलान्ट/प्रार्थी ने वसीयत के आधार पर मृतक का नामान्तरण खोले जाने की गुजारिश की। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने वसीयत के बाबत एतराज पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट/प्रार्थी की गैर हाजिरी दर्ज करते हुए जानबूझकर आदेशिका में यह लिखते हुए निर्णय पारित कर दिया कि सार्वजनिक सूचना को 7 दिन से अधिक का समय हो चुका है और गवाहों के बयान हो चुके हैं और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अलावा किसी अन्य की आपत्ति पेश नहीं हुई, पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने की वजह से निर्णय पारित किया जाता है तथा दिनांक 21.9.15 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आलोच्य निर्णय पारित कर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में निर्णय का आदेश प्रदान कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.9.15 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को स्वर्गीय भोमाराम का वारिस माना है, जबकि पत्रावली पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने जो सिजरा अर्थात वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है वह फर्जी है, जिस पर उप सरपंच ग्राम पंचायत गूजरवास के फर्जी हस्ताक्षर है और उप सरपंच श्योराम पुत्र घीसाराम ने दिनांक 28.10.2015 को हंसा देवी, हल्का पटवारी विक्रम मीणा व अन्य 4–5 लोगों के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र बहरोड पर अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व धारा 120 बी भारतीय दण्ड विधान में एफ.आई.आर. दर्ज कराई है, जिसका नम्बर 410/15 है, जो जैरे अनुसंधान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने निर्णय पारित करते समय वसीयत के गवाहों के बयानों की अविश्वस्नीयता पर कोई टिप्पणी ना करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में विरास्त का नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख भी किया है कि वसीयतकर्ता वसीयत किये जाने के लिये अधिकृत नहीं था, साथ ही हल्का पटवारी गूजरवास की रिपोर्ट दिनांक 4.8.15 को आधार बताते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट में वसीयत दिनांक 12.6.91 संलग्न थी, साथ ही निर्णय में जांच रिपोर्ट में पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अविवादित आराजी के कब्जे की स्थिति विवादास्पद बताई गई थी, ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में नामान्तरण तस्दीक किया जाने के आदेश प्रदान किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वसीयत दिनांक 12.6.91 की प्रोबेट मंगवानी चाहिये थी और सक्षम न्यायालय से प्रोबेट जारी होने तक या प्रोबेट का निर्णय होने तक इन्तकाल की प्रक्रिया स्थगित रखी जानी चाहिये थी, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मनमाने आदेश प्रदान किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बहरोड जिला अलवर दिनांक 21.09.2015 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता व रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार बहरोड जिला अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 21.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। मृतक भोमा पुत्र मोहरू की वह सगी बहिन होने से उस सम्पत्ति की वह एकमात्र वारिस है। भोमा पुत्र मोहरू का विरासत का ई.नं. 333 ग्राम जलालपुर प्रार्थीनी के नाम दर्ज हो चुका है। साथ ही कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बहरोड के वाद सं. 216/2007 बाबूलाल बनाम राजस्थान सरकार आदि में निर्णय दिनांक 20.7.15 के अनुसार बाबूलाल द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज हेतु पेश वाद को

Scanned by CamScanner

क्षेत्राधिकार न्यायालय में न आने के कारण खारिज किया जा चुका है। तथा तहसीलदार बहरोड ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2015 के द्वारा प्रार्थना प्रार्थी खारिज किया जाकर पटवारी हल्का को आदेश दिये गये हैं कि विरास्तन दर्ज नामान्तरण संख्या 333 को उसमें दर्ज कृषि भूमि के कब्जे की स्थिति विवादास्पद (रिपोर्ट पटवारी के अनुसार) होने से निर्णय हेतु ILR से मिलान करवाया जाकर पेश करने के आदेश पारित किये गये, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। तहसीलदार बहरोड जिला अलवर ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद भोमा पुत्र मोहरू की विरासत को लेकर है। दोनों पक्ष यह तो मानते है कि मृतक भोमा के कोई सन्तान नहीं है और वह लाऔलाद फौत हुये हैं। भोमा पुत्र मोहरू का देहान्त होने पर जो नामान्तरकरण भरा गया जो हंसा देवी पुत्री श्री मोहरू के नाम भरा गया है। मृतक भोमा पु. मोहरू के लाऔलाद फौत होने पर उनकी बहिन हंसा देवी पुत्री श्री मोहरू ही विधिक वारिस है। तहसीलदार महवा ने अपने आदेश दिनांक 21.09.2015 में अपंजीकृत विक्रय पत्र के संबंध में विवेचन किया है कि चूंकि वसीयतकर्ता ने उक्त भूमि अपने पिता से विरासत में प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में मोहरू की पुत्री हंसा देवी का भी अधिकार मोहरू की विरासत में जन्म से ही सृजित है। अतः इस भूमि को वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत किया जाना अधिकृत नहीं माना है। विरास्तन प्राप्त जायदाद में नैसर्गिक वारिस के रूप में हंसा देवी का अधिकार जन्म से ही माना है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही नामान्तरकरण को स्वीकार करने में कोई अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी भोमा की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का भोमा निर्विवाद खातेदार था तथा भोमा की मृत्यु के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण खोले गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपील का मुख्य आधार विवादित भूमि पर कब्जा एवं गोद लिया जाना बताया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि भोमा की स्वअर्जित नहीं थी। कथित अपंजीकृत वसीयत का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर यदि अपीलांट के कोई अधिकार होते हैं तो उनका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। जहॉ तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है यदि मृतक खातेदार का कोई पुत्र नहीं है तो विरासत का नामान्तरकरण द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान के नाम खोले जाने को उचित माना गया है। विरासत के नामान्तरकरण में कब्जे का बिन्दु महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विरासत का नामान्तरकरण विधिक वारिसान के हक में दर्ज किया जाता है। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding है जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड जिला अलवर का निर्णय दिनांक 21.09.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner